RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 जून, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 1

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय तक भण्डारण करीब तीन माह का समय समाप्त हो चुका है। भण्डारित आलू की दशा की रिपोर्ट उस हिसाब से सही नहीं आ रही है जैसी की हर वर्ष आती थी। आलू में अंकुरण की शिकायत है। इसका मुख्य कारण देर से बुआई का होना है। मार्च माह में दो दफा अधिक वर्षा हो जाने के कारण खुदाई में भी करीब 15 दिन की देरी हो गई थी। यही कारण आलू में थोड़ी बहुत दागी होने की शिकायत आ रही है।

बायें से दायें : श्री रितेश गोयल, श्री आदित्य कौशिक, मैनेजिंग डायरेक्टर, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी लिमिटेड, श्री कुलवंत सिंह सैनी, अध्यक्ष, हरियाणा, श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, श्री गोविन्द कजरिया, वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, श्री राजेश गोयल, सचिव, श्री रामशंकर कठेरिया, सांसद, आगरा, श्री सुदर्शन सिंघल, अध्यक्ष, आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन।

शीतगृहों से निकासी चालू हो गई है। आशा है शीघ्र ही रफ्तार भी पकड़ लेगी। आलू के भाव गिरे हुए है। हर भाव पर थोड़ा–थोड़ा आलू निकाल देना ही उचित रहेगा। इस वर्ष समुचित मात्रा में वर्षा होने की आशा की जाती है, जो कि आलू की खपत व बुआई के लिए एक अच्छा संदेश है।

आगरा में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की वार्षिक मीटिंग :

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की वार्षिक मीटिंग, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्त्वाधान में आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन ने आयोजित की। इस आयोजन के लिए हम फेडरेशन व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें धन्यवाद देते है। सम्पूर्ण व्यवस्था हर प्रकार से अति उत्तम गिनी जाएगी।

इस मीटिंग में शीतगृह सम्बन्धी हर विषय पर चर्चा हुई जैसे आलू के बीज का उत्पादन, अग्नि सुरक्षा, हालैण्ड से बीज व अन्य तकनीक प्राप्त करने के लिए वार्ता, बिजली, शीतगृह सम्बन्धी नियम आदि पर अनेक व्यक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला गया।

परन्तु आलू के सम्बन्ध में झूठा प्रचार :

कलकत्ता से हमें श्री गोविन्द कजरिया, मालिक, गोविन्द कोल्ड स्टोरेज ने हमें यह संदेश भेजा है जो कि 13 जून, 2013 को कलकत्ता में सन्मार्ग पत्र में प्रकाशित हुआ है।

''आलू को अक्सर सस्ता व सेहत लिए नुकसान पहुँचाने वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आलू में कितने पोषक तत्त्व मौजूद हैं। यह विटामिन सी, विटामिन बी–6, कॉपर, पोटेशियम, मैगनीज तथा रेशे का महत्वपूर्ण स्रोत है।

इसमें मौजूद पोषक तत्त्व प्रकृतिवत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें स्वास्थ्य वृद्धि करने वाले महत्वपूर्ण यौगिक जैसे – केरोटोनापड्स, फ्लेवोनायड्स, केफेक एसिड तथा प्रोटीन को एकत्रित करने वाले यौगिक जैसे पेयाटिन भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इनमें रक्तचाप को कम करने वाला तत्त्व जैसे क्यूकोमाइनस भी मौजूद होता है।

जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, पहले उन्हें आलू का सेवन न करने की सलाह दी जाती थी परन्तु यह सही नहीं है। आहार विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें उच्च मात्रा में पाया जाता है लेकिन जब हम इसे तलकर खाते हैं तो इसमें से पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।

यदि इसको पकाने के ढंग में बदलाव लाया जाए तो हम इससे लाभ उठा सकते हैं जैसे तलने की बजाय यदि इसे उबालकर विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाए तो बेहतर होगा। उबले

हुए आलुओं से आप आलू की चाट तैयार करते हैं या फिर इन्हें उबले हुए चनों में मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा मुरमुरे में भी उबले हुए आलू डालकर खाए जाते हैं।

यदि आप आलू का पराठा खाने के शौकीन हैं तो इसमें अन्य सब्जियाँ मिलाकर पराठा बनाएं। यह सेहतमंद भी होगा व स्वादिष्ट भी। साथ ही आलुओं के पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु आप इन्हें भोजन में बेक करके भी खा सकते हैं।

मीठे आलुओं को अक्सर गृहणियाँ पसंद नहीं करती। शायद ऐसा वे इसके स्वाद के कारण करती है। ध्यान दीजिए कि मीठे आलू भी पोटाशियम, रेशे व केरोटेनायड्स के अच्छे स्रोत हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें भी साधारण आलुओं की भांति आयरन, विटामिन ए, सी, मैगनीज, कॉपर व रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये ऊर्जा को बढ़ाने में भी सहायक है।''

विद्युत की security पर मिलने वाले ब्याज की दरें :

कृपया ध्यान दें कि नए नियमों के अनुसार Reserve Bank 13 फरवरी, 2012 से बैंक रेट की परिभाषा Security पर मिलने वाले ब्याज दर 6 प्रतिशत पर स्थिर थी, परन्तु 13 फरवरी, 2012 से Reserve Bank के नए नियम के अनुसार इसमें परिवर्तन लाया गया है जो कि अब 6 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत तक चलता रहेगा। इसके लिए Reserve Bank बैंक का 7 मार्च, 2012 का यह पत्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पत्र हम सारांश में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे यदि आप चाहे तो बैंक में जाकर पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

March 7, 2012

RBI/2011-12/432
UBD.BPD. (PCB).Cir. No. 26/16.11.00/2011-12

The Chief Executive Officer,
All Primary (Urban) Co-operative Banks.

Madam/Dear Sir,

BANK RATE

1. Section 49 of the Reserve Bank of India Act, 1934 requires the Reserve Bank to make public (from time to time) the standard rate at which it is prepared to buy or re-discount bills of exchange or other commercial paper eligible for purchase under that Act.

2. Being the discount rate, the Bank Rate should technically be higher than the policy

repo rate. The Bank Rate has, however, been kept unchanged at 6 per cent since April 2003. This was mainly for the reason that monetary policy signalling was done through modulations in the reverse repo rate and the reporate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) (till May 3, 2011) and the policy repo rate under the revised operating procedure of monetary policy (from May 3, 2011 onwards). More over, under the revised operating procedure, marginal standing facility (MSF), instituted at 100 basis points above the policy repo rate, has been in operation, which in many ways serves the purpose of the Bank Rate.

3. While the policy repo rate and the MSF rate have become operational, the Bank Rate continues to remain at 6 per cent. Currently, the Bank 'Rate acts as the penal rate charged on banks for shortfalls in meeting their reserve requirements (cash reserve ratio and statutory liquidity ratio). The Bank Rate is also used by several other organisations as a reference rate for indexation purposes.

4. The Reserve Bank has consulted various organizations/stakeholders relying on the Bank Rate as a reference rate. Based on the feedback received, it is determined that the Bank Rate should normally stay aligned to the MSF rate. Accordingly, it has been decided that with effect from the close of business of February 13, 2012, the Bank Rate will stand increased by 350 basis points, i.e., from 6.00 per cent per annum to 9.50 per cent per annum. This should be viewed and understood as one-time technical adjustment to align the Bank Rate with the MSF rate rather than a change in the monetary policy stance.

5. All penal interest rates on shortfall in reserve requirements, which are specifically linked to the Bank Rate, will also stand revised as indicated in the Annex.

6. Please acknowledge receipt of this circular to the Regional Office concerned of the Urban Banks Department.

Yours faithfully

(A. Udgata)
Chief General Manager-in-Charge

Encl : as above

RESERVE BANK OF INDIA

Letter No. RBI/2011-12/515
DBOD. No. Ret. BC. 96/12.01.001/2011-12 April 19, 2012

"As announced in the Monetary Policy Statement 2012-13, the Bank Rate Stands adjusted by 50 basis points from 9.50 per cent to 9.00 per cent with effect from April 17, 2012."

RESERVE BANK OF INDIA

Letter No. RBI/2012-13/402
Ref : DBOD. NO. Ret. BC. 77/12.01.001/2012-13 January 29, 2013

"As announced in the Third Quarter Review of Monetary Policy 2012-13, the Bank Rate stands adjusted by 25 basis points from 9.00 per cent to 8.75 per cent with effect from January 29, 2013".

RESERVE BANK OF INDIA

Letter RBI/2012-13/449
DBOD. No. Ret. BC. 84/12.01.001/2012-13 March 19, 2013

"As announced in the Mid-Quarter Review of Monetary Policy 2012-13, the Bank Rate stands adjusted by 25 basis points from 8.75 per cent to 8.50 per cent with effect from March 19, 2013".

RESERVE BANK OF INDIA

Letter RBI/2012-13/488
DBOD. No. Ret. BC. 91/12.01.001/2012-13 May 3, 2013

BANK RATE

"As announced in the Annual Monetary Policy Statement 2013-14, the Bank Rate stands adjusted by 25 basis points from 8.50 per cent to 8.25 per cent with effect from May 3, 2013".

नोट : कृपया ध्यान दे कि वर्ष 2003 से 17 अप्रैल, 2012 तक बिजली की Security पर 6 प्रतिशत Rate of Interest लागू है।

आलू विकास, नीति 2013 के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 6.5.2013 को लिए गए निणर्य :

मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.05.2013 को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित उनके सभागार में उ.प्र. आलू विकास नीति–2013 के पंचम आलेख्य पर सुझाव, अभिमत एवं अनुमोदन हेतु सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति विवरण संलग्न है।

उक्त बैठक में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा आलू विकास एवं उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित नीति के सभी बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तावित नीति में प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति तथा क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किए गए विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त नीति के सन्दर्भ में निम्नवत् निर्णय लिए गए :–

1. बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रजातियों के आधारित द्वितीय स्तर के उत्पादन तक एवं प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के प्रमाणित द्वितीय स्तर तक उत्पादन पर अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की जाये।
2. बैठक में उपस्थित 'एन.एच.आर.डी.एफ' संस्था के प्रतिनिधि के द्वारा प्रदेश में आलू बीज का कृषक प्रक्षेत्रों पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन कराकर उसे क्रय करके निर्धारित मूल्य पर कृषकों में वितरण हेतु सहमति दी गई। निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा प्रथम चरण में सामान्य प्रजातियों का आधारित द्वितीय स्तर तक एवं प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के प्रमाणित द्वितीय स्तर तक के बीजों का क्रय करके कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. आलू बीजोत्पादन करने के लिए कृषक समूहों का गठन किये जाने हेतु 'एस.एफ.ए.सी' का सहयोग लिया जा सकता है।
4. आलू बीज उत्पादन में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं सरलीकृत करने हेतु कार्यवाही की जाये।
5. भोज्य आलू उत्पादन के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि हेतु संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने, विभिन्न मशीनों/उपकरणों के उपयोग से श्रम लागत को कम करने एवं सिंचाई सुविधा हेतु संहत क्षेत्रों में दिन में कम से कम 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाये।
6. आलू भण्डारण के अन्तर्गत बीज आलू एवं भोज्य आलू के पृथक–पृथक भण्डारण की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाय। शीतगृहों में 'वेयरहाउस रिसीट सिस्टम' लागू करने की कार्यवाही करायी जाये।
7. बाजार विकास एवं विपणन प्रोत्साहन के अन्तर्गत कम उत्पादन वाले क्षेत्रों, जहाँ आलू की माँग अधिक है, में एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर सेलर मीट का आयोजन कराया जाये।
8. प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर स्थापित आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों के साथ प्रदेश के आलू उत्पादकों का परस्पर सम्पर्क कराकर विपणन/टाइ–अप कराया जाये।
9. आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए प्रोत्साहित किया जाये।
10. आलू से सम्बन्धित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना किये जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेन्स प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी।
11. तकनीकी हस्तांतरण एवं दक्षता विकास के अन्तर्गत 'सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर पोटैटो' की स्थापना आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्र में करायी जाये।
12. आलू उत्पादन की नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद, विकास खण्ड

तथा आवश्यकतानुसार सहत क्षेत्रों में ग्राम स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाये।

13. प्रस्तावित उ.प्र. आलू विकास नीति–2013 के अन्तर्गत सम्मिलित केन्द्रीय योजनाओं के प्राविधानों में भारत सरकार के स्तर से यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसी के अनुरूप नीति में भी तद्नुसार परिवर्तन किया जायेगा।

बैठक के अन्त में प्रस्तावित नीति के प्रस्तुत आलेख्य को इस आशय से अनुमोदन प्रदान किया गया कि उपरोक्तानुसार यथास्थान संशोधन/परिमार्जन करते हुए मई, 2013 के अन्त तक कैबिनेट नोट तैयार कर उसे कैबिनेट के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव

विद्युत सम्बन्धी नये टैरिफ के सम्बन्ध में :

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने नये टैरिफ की घोषणा कर दी है जो कि 10 जून, 2013 से लागू हो गया है। इस नये टैरिफ में एच.वी. 2 के उपभोक्ताओं पर रेट शेडयूल पर 3.71 प्रतिशत सर्चार्ज लगा दिया गया है जो कि इस प्रकार है :

"7.3.11 Thus, for liquidation of the regulatory asset, the Commission has decided to introduce a surcharge of 3.71% over "RATE" as defined in the Rate Schedule for FY 2013-14. Such surcharge would be applicable in the supply areas of DVVNL, MVVNL, PVVNL and PuVVNL. The details are provided in the table below :

Table 7-4 : REGULATOY SURCHARGE FOR FY 2013-14 (Rs Crores)

Particulars	Derivation	DVVNL	MVVNL	PVVNL	PuVVNL	Consolidated
Annual Revenue Requirement at existing tariff	A	2,607	1,293	1,428	2,596	7,924
Less : GoUP Subsidy	B	878	817	1,348	1,621	4,664
Less : Additional Subsidy Requirement from GoUP	C	883	66	791	354	2,094
Revenue Gap for FY 2013-14	**D = A - B - C**	**846**	**410**	**(710)**	**621**	**1,166**

आलू किसानों को लाभ से चमकेंगे शीतगृह

सेमिनार

सांसद व राज्यमंत्री के सामने रखी मांगें

उत्तराखंड पीड़ितों को दिए पांच लाख

ये रहे उपस्थित

नीदरलैंड जाएगा प्रतिनिधिमंडल

50 मिलियन टन आलू उत्पादन का लक्ष्य

7.3.12 The regulatory surcharge approved herein shall come into force after seven days from the date of such publication of the regulatory surcharge, and shall be in force till 31st March, 2014, unless amended or extended, by the Commission through an Order."

इसके अतिरिक्त इस टैरिफ में कोई मुख्य बदलाव नहीं आया है। एक अन्य बदलाव यह भी है कि अगर आप पर मीटर से सप्लाई है तो आप अपने औद्योगिक परिसर में कोई अन्य काम के लिए बिजली का प्रयोग कर सकते है, आपके लिए टेम्परेरी कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका लोड कान्ट्रेक्टड लोड के अन्दर रहना चाहिए :

16. A consumer under metered category may undertake any extension work, in the same premises, on his existing connection without taking any temporary connection as

long as his demand does not exceed his contracted demand and the consumer shall be billed in accordance with the tariff applicable to that category of consumer.

मुख्य बदलाव घरेलू बिजली के रेट में आया है जिसे हम पूरा का पूरा प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि हर औद्योगिक उपभोक्ता घरेलू रेट से अवश्य प्रभावित होता है।

RATE SCHEDULE LMV-1

DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER :

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply to :

(a) Premises for residential/domestic purpose, Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria.

(b) Mixed loads

(i) 50 kW and above

(a) Registered Societies, Residential Colonies / Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70%, shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting.

(b) Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

(ii) Less than 50 kW

For mixed loads less than 50 kW, however, if any portion of the above load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY :

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE :

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category :

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule' (other than Tehsil Head Quarters, Nagar Palikas and Nagar Panchayat Areas) :

	Description	Fixed charge	Energy charge
i)	Un-metered	Rs. 180 / connection / month	Nil
ii)	Metered	Rs. 50 / kW / month	Rs. 2.20 / kWh

(b) Supply at Single Point for bulk loads :

Description	Fixed Charge	Energy Charge
For Townships, Registered Societies, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with, loads 50 kW and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).	Rs. 70.00 / kW / Month	Rs. 4.50 / kWh

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee.

(c) OTHER METERED DOMESTIC CONSUMERS :

1. **Lifeline consumers :** Consumers with contracted load of 1 kW, energy consumption up to 150 kWh / month.

Description	Fixed Charge	Energy Charge
Loads of 1 kW only and for consumption up to 100 kWh / month (0 to 100 kWh / month)	Rs. 50.00 / kW / Month	Rs. 2.20 / kWh
Loads of 1 kW only and for consumption above 100 kWh / month up to 150 kWh / month (101 to 150 kWh / month)		Rs. 2.60 / kWh

Continued Page 20

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

2. **Others :** Other than life line consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid down for lifeline consumers.)

Description	Consumption Range	Fixed Charge	Energy Charge
All loads	Upton 200 kWh / month	Rs. 75.00/ kW / month	Rs. 4.00 / kWh
	201- 500 kWh / month		Rs. 4.50 / kWh
	Above 500 kWh / month (From 501st unit onwards)		Rs. 5.00 / kWh

Note :

1. For all consumers under this category the maximum demand during the month recorded by the meter has to be essentially indicated in their monthly bills. However, this condition would be mandatory only in case meter reading is done by the Licensee. Accordingly, if the bill is being prepared on the basis of reading being submitted by the consumer then the consumer would not be liable to furnish maximum demand during the month and his bill would not be held back for lack of data on maximum demand. Recording of such maximum demand will be used for the purpose of system planning and consumer education in the current tariff year.

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित